राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3791/2012

श्रीमती संगीता

----अपीलार्थी

बनाम

राज. राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री प्रियांशु गोपा
श्री विनित सनाढ्य के लिए

प्रतिवादी(गण) के लिए : कोई नहीं

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

निर्णय (मौखिक)

17/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दो आदेशों दिनांक 06.02.2012 (अनुलग्नक 6) से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने का निर्देश दिया था और दिनांक 08.02.2012 (अनुलग्नक 7) के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 02.10.2010 के आदेश (अनुलग्नक 1) द्वारा याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत, असावरी द्वारा आशा सहयोगिनी के पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया था और उसके अनुसरण में दिनांक 18.01.2011 के आदेश (अनुलग्नक 2) द्वारा याचिकाकर्ता को नियुक्त किया गया था।

2.1 तत्पश्चात, दुश्मनी के कारण, श्री श्याम लाल ने याचिकाकर्ता के खिलाफ विद्वान सीजेएम, नागौर के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने नियुक्ति पाने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किए। मामला पुलिस स्टेशन भावंडा, नागौर को भेजा गया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उस एफआईआर के अनुसार, याचिकाकर्ता को उचित जांच किए बिना

गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

2.2 जमानत पर रिहा होने के बाद, याचिकाकर्ता ने तुरंत ही सभी तथ्यों को बताते हुए एक आवेदन दायर करके प्रतिवादी संख्या 2 से संपर्क किया और दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद, दिनांक 06.02.2012 के आदेश (अनुलग्नक 6) द्वारा, प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का निर्देश दिया और दिनांक 08.02.2012 के आदेश (अनुलग्नक 7) द्वारा, प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया। इसलिए यह याचिका।

3. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में लिया गया बचाव इस प्रकार है:

3.1 यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के लिए इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए कोई कारण नहीं बनता है क्योंकि वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थी और उसके और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471/120-बी के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन भावंडा, जिला नागौर में एफआईआर संख्या 20/2011 दर्ज की गई थी। इसके संबंध में याचिकाकर्ता को 26.05.2011 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और वह पांच दिनों तक न्यायिक हिरासत में रही यानी 48 घंटे से अधिक हिरासत में रही। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के आचरण और उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए, उसे संविदा सेवा से हटा दिया गया। याचिका में कोई दम नहीं होने के कारण उसे खारिज किया जाना चाहिए।

3.2 यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता राहत पाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करके जालसाजी करने का दोषी है। इस प्रकार, गलत तथ्यों पर आधारित याचिकाकर्ता के आचरण और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के शरारती कृत्य के कारण, उसकी याचिका को सीधे खारिज किया जाना चाहिए।

3.3 यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पास जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित उच्च अधिकारियों से संपर्क करने का वैकल्पिक उपाय है। इसके अलावा, मामले में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कथनों में विवादित तथ्य शामिल हैं, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, रिट संधारण योग्य नहीं है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

5. यह पता चला है कि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति का एकमात्र कारण यह आरोप था कि उसने कक्षा-9 का फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की गई थी।

6. जैसा कि पता चला है, रिट कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, उक्त आरोप झूठा पाया गया तथा ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला भी किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा दायर एक प्रेरित शिकायत पर शुरू किया गया था, जिसका चयन आशा सहयोगिनी के पद पर नहीं हुआ था।

7. बरी होने के बाद राज्य द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है, इसलिए बरी करने का आदेश अंतिम हो गया है।

8. इस आधार पर रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 06.02.2012 (अनुलग्नक 6) और 08.02.2012 (अनुलग्नक 7) के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि यदि विचाराधीन पद पर सेवा की कोई आवश्यकता है, तो याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर पिछले कार्यवाही से प्रभावित हुए बिना नए सिरे से विचार किया जाए।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।